Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
भा बी वि वि प्रा
irdai

संदर्भः आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/108/06/2022 दिनांकः 01जून 2022
Ref: IRDAI/HLT/REG/CIR/108/06/2022 Date : 01 June 2022

परिपत्र
Circular

प्रति /To,
सभी साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के सीईओ
CEOs of all General and Stand alone Health Insurance Companies

विषयः स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सभी श्रेणियों के उत्पादों के लिए यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया – के संबंध में
Sub: Use and file procedure for all categories of products under health insurance business – reg

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी समेकित दिशानिर्देश संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/194/07/2020 दिनांक 22 जुलाई 2020 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इन दिशानिर्देशों दिनांकित 22 जुलाई 2020 में आंशिक आशोधन करते हुए तथा "स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी आशोधन दिशानिर्देश" संबंधीपरिपत्संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/29/02/2021 दिनांक 08 फ़रवरी 2021 का अधिक्रमण करते हुए, स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत प्रस्तावित सभी श्रेणियों के उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित मानदंड प्रारंभ किये जाते हैं।

1. स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत प्रारंभ किये जानेवाले अथवा आशोधित/संशोधित किये जानेवाले तथा साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किये जानेवाले सभी श्रेणियों के उत्पादों और ऐड-आनों अथवा राइडरों के लिए निम्नलिखित मानदंडों का विधिवत् अनुपालन करते हुए "यूज़ एण्ड फाइल" के माध्यम से प्रारंभ करने के लिए अनुमति दी जाती है।

i. बीमाकर्ताओं के पास उत्पादों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति विद्यमान होगी जो प्रस्तावित अथवा आशोधित / संशोधित किये जाएँगे तथा साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किये जाएँगे, जो कम से कम निम्नलिखित का समाधान करेंगे – (i) बीमा व्यापन में वृद्धि करने के लिए कंपनी का दर्शन (ii) बीमायोग्य जनता की स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताएँ (iii) सभी बाजार खंडों के लिए समावेशी बीमा की व्यवस्था (iv) सरल और आसानी से समझने योग्य उत्पाद उपलब्ध कराने की आवश्यकता। बोर्ड द्वारा अनुमोदित

नीति भी यहाँ इस परिपत्र में विनिर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन करेगी तथा इनका अनुपालन उत्पादों को प्रारंभ करने अथवा उत्पादों का आशोधन/ संशोधन करने के समय भी किया जाएगा। बीमाकर्ता की उत्पाद प्रबंध समिति नये उत्पादों अथवा उत्पादों के आशोधन के संबंध में हस्ताक्षर करते समय बोर्ड की नीति का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

ii. बीमाकर्ता उत्पाद का प्रस्तावित नाम एवं उत्पाद प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख फाइल करेगा तथा यूआईएन प्राप्त करेगा। उसके बाद, बीमाकर्ता उत्पाद को प्रारंभ करने से 7 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी समेकित दिशानिर्देश दिनांक 22 जुलाई 2020 में विनिर्दिष्ट सभी अन्य दस्तावेजों के साथ उत्पाद को फाइल करेंगे।

iii. बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्पाद का कीमत-निर्धारण लक्ष्यित बाजार के लिए व्यवहार्य, स्वयं-धारणीय और वहनीय हो।

iv. कीमत का संशोधन, यदि कोई हो, केवल अंतर्निहित दावा अनुभव (उपगत दावा अनुपात) के आधार पर और उत्पाद को अर्थक्षम और स्वयं-धारणीय बनाने के लिए लागू किया जाएगा। बीमाकर्ता कीमत में संशोधन के लिए मार्ग प्रशस्त करनेवाले उत्पाद के अंतर्निहित दावा अनुभव (उपगत दावा अनुपात) के साथ कीमत में संशोधन के लिए तर्काधार अपनी वेबसाइट में प्रकट करेंगे।

v. जहाँ वैकल्पिक कवर अथवा ऐड-आन अत्यंत निम्न प्रीमियम के साथ प्रस्तावित किये जाते हैं, यह संकेत देते हुए कि कवरेज उक्त ऐड-आनों अथवा वैकल्पिक कवरों के अंतर्गत महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे ऐसे ऐड-आनों अथवा वैकल्पिक कवरों को उत्पाद के आधारभूत कवर में सम्मिलित करने पर विचार करें।

vi. उत्पादों/ऐड-आनों का कीमत-निर्धारण सामान्यतः स्वीकृत बीमांकन सिद्धांतों पर आधारित होगा।

vii. प्रीमियम दरें आनुपातिक तौर पर अंतर्निहित उत्पादों/ ऐड-आनों के लाभों, शर्तों और निबंधनों को उपयुक्त रूप में प्रतिबिंबित करेंगी और भेदभावपूर्ण नहीं होंगी।

viii. ऐड-आनों के लिए प्रबंध व्ययों के लोडिंग पर सीमांत आधार पर विचार किया जाए।

ix. एकसमान जोखिम के विशेष लक्षणों से युक्त किन्हीं दो जोखिमों की रेटिंग भिन्न प्रकार से नहीं की जाएगी।

x. बीमाकर्ता सभी आधार और ऐड-आन कवरों के अंतर्गत अनुभव का निर्माण, अनुरक्षण और निगरानी अलग-अलग करेंगे।

xi. उत्पादों की सभी श्रेणियों को भी, अर्थात् प्रायोगिक उत्पादों, स्वास्थ्य प्लस जीवन काम्बी उत्पादों और स्वास्थ्य पैकेज उत्पादों को उपर्युक्त प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है। गैर-जीवन पैकेज उत्पादों, जहाँ यूआईएन पहले ही गैर-जीवन कवरों के लिए प्राप्त किया गया है, को भी इस परिपत्र में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है।

2. बीमाकर्ता उत्पादों को प्रारंभ करते समय बीमा अधिनियम, 1938, उसके अंतर्गत अधिसूचित सभी अन्य प्रयोज्य विनियमों और दिशानिर्देशों/ परिपत्रों का अनुपालन करेंगे। बीमाकर्ता परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/विविध/069/04/2021 दिनांक 1 अप्रैल 2021 के अनुसार जारी किये गये मानक तकनीकी नोट में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेंगे।

3. जहाँ यह पाया जाता है कि किसी बीमाकर्ता ने वर्तमान विनियमों अथवा दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, वहाँ प्राधिकरण बीमा अधिनियम,1938 के उपबंधों के अधीन की जानेवाली किसी कार्रवाई के बावजूद, निम्नलिखित एक या उससे अधिक कार्रवाइयाँ कर सकता है।

i. बीमाकर्ता को उत्पाद वापस लेने के लिए निदेश दे सकता है।

ii. ऐसे बीमाकर्ता के लिए इस परिपत्र में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार यूज़ एण्ड फाइल सुविधा, निर्धारित की जानेवाली अवधि के लिए वापस ले सकता है।

4. ये मानदंड तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे। फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रिया के अंतर्गत फाइल किये गये सभी वर्तमान उत्पाद और जिनके लिए यूआईएन अभी जारी करना बाकी है, उन्हें वापस लिया गया समझा जाएगा तथा बीमाकर्ता इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें प्रारंभ कर सकते हैं।

5. ये दिशानिर्देश बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) में निहित शक्तियों तथा आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 2(i) (ण) में निहित शक्तियों के अधीन जारी किये जाते हैं।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

Reference is invited to Consolidated Guidelines on Product Filing in Health Insurance Business ref no: IRDAI/HLT/REG/CIR/194/07/2020 dated 22 July 2020. Impartial modification of these guidelines dated 22 July, 2020 and in superseding circular ref no: IRDAI/HLT/REG/CIR/29/02/2021 on "Modification guidelines on product filing in health insurance business" dated 08 February 2021 the following norms are introduced in respect of all categories of products offered under Health Insurance Business.

1. All categories of products and add-ons or riders to be introduced or modified /revised under health insurance business and offered by General and Health Insurance Companies are permitted to be launched through "Use and File" by duly complying with the following norms.

i. Insurers shall have in place the Board approved policy of products that are to be offered or modified / revised which shall at minimum address (i) the philosophy of the company in enhancing the insurance penetration (ii) the health insurance needs of the insurable population (iii) provision of inclusive insurance to all the market segments (iv) the need for providing simple and easily comprehendible products. The Board approved policy shall also comply with the norms specified herein and the same shall be complied at the point of launching the products or modification /revision of the products. The Product Management Committee of the insurer shall ensure compliance to the policy of the board while signing of the new products or modification of products.

ii. Insurers shall file the proposed name of the product, date of approval by Product Management Committee and shall obtain the UIN. Thereafter, Insurers shall file the product along with all other documents specified in Consolidated Guidelines on Product Filing in Health Insurance Business dated 22 July, 2020 with the Authority within 7 days of launch of the product.

iii. Insurers shall ensure that the product pricing is viable, self-sustainable and affordable to the targeted market.

iv. The revision in the price, if any, shall be effected only based on the underlying claims experience (Incurred Claims Ratio) and to make the product viable and self-sustainable. Insurers shall disclose the rationale for revision in price along with the underlying claim experience (Incurred Claims Ratio) of the product that lead to the revision in the price in their website.

v. Where optional covers or add-ons are offered with very low premium rates giving an indication that coverage is not material under the said add-on or optional cover, Insurers are advised to consider subsuming such add-ons or optional covers into base cover of the product.

vi. Pricing of the products/add-ons shall be based on the generally accepted actuarial principles.

vii. The premium rates shall appropriately reflect the benefits, terms and conditions of the underlying products/add-ons and shall not be discriminatory.

viii. Management Expenses loading for add-ons to be considered on marginal basis.

ix. No two risks with identical risk characteristics shall be rated differently.

x. The insurer shall build-up, maintain and monitor the experience under all the baseand add-on covers separately.

xi. All categories of the products, namely, Pilot Products, Health plus Life Combi Products and Health Package Products are also allowed to be launched under theabove procedure. Non-life package products where UIN is already obtained for non-life covers are also permitted to be launched in accordance to the norms specified herein.

2. Insurers shall comply with the provisions of Insurance Act, 1938, all other applicable regulations and guidelines / circulars notified there under while launching the products. Insurers shall also comply with all the requirements specified in the standard technical note issued vide circular ref: IRDAI/ACT/CIR/MISC/069/04/2021dated 1 st April 2021.

3. Where any Insurer is found to be non-compliant with the extant regulations or guidelines, the Authority notwithstanding the action that may be taken under the provisions of Insurance Act 1938, may take one or more of the following actions.

i. Direct the insurer to withdraw the product.

ii. Withdraw the Use and File facility specified as per the norms specified herein for such insurer for a period as may be determined.

4. These norms shall come in to force with immediate effect. All existing products filed under File and Use procedure and whose UIN are yet to be issued are deemedwithdrawn and insurers may launch the same under the Use and File procedure specified under these guidelines.

5. These guidelines are issued under the powers vested with Section 34 (1) of the Insurance Act, 1938 and under the powers vested in Regulation 2 (i) (o) of IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016.

6. This has the approval of the competent authority..

रमेश

(डी.वी.एस. रमेश / D.V.S. Ramesh)

मुख्य महाप्रबंधक (विधि और स्वास्थ्य) / Chief. Gen.Manager (Legal & Health Dept)